शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). 23 मार्च 1963 को लोक सभा में इस मंत्रालय की 1963-64 के लिए बजट की मांगों पर बोलते हुए भूतपूर्व शिक्षा मंत्री (डा० कालूलाल श्री माली) ने यह आशा व्यक्त की थी कि 1963-64 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 50 पुस्तकें तैयार हो जायेंगी परन्तु, 1963-64 वर्ष के अन्त तक, निदेशालय 33 पुस्तकों का अनुवाद और रचना पूरी कर सका, जिनमें से केवल 7 पुस्तकें प्रकाशित की गईं और 5 छप रही थीं। क्योंकि पुस्तक प्रकाशन का कार्य, वास्तव में 1963-64 में ही आरम्भ हुआ था; इसलिए 1962 और 1963 की संख्याएं देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निदेशालय; वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली तैयार करने में लगे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग पर हुआ वर्ष वार खर्च निम्नलिखित है :-

1960-61	–	7,07,632	रुपये
1961-62	–	9,91,499	रुपये
1962-63	–	12,47,001	रुपये
1963-64	–	14,18,898	रुपये
1964-65 (31-10-64 तक)	–	9,91,662	रुपये

---

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(i) PROTEST STRIKE BY JUTE WORKERS OF WEST BENGAL AGAINST NON-PAYMENT OF BONUS AND DEARNESS ALLOWANCE.

Shri Dinen Bhattacharya (Serampore): I call the attention of the Minister of Labour and Employment to the following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon:

> Protest strike on the 1st December, 1964 by jute workers of West Bengal as a protest against the non-payment of bonus and dearness allowance.

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): Sir, the information is being collected and if you will permit me, I will make a statement tomorrow either after the Question Hour or at 5 O' Clock.

Mr. Speaker: All right. I will put it tomorrow or the day after.

12.02 hrs.

RE OPERATION OF ARTICLE 370

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं आपके एक निर्णय के प्रति आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह तो यही चलता रहेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वह इस से सम्बन्धित नहीं है। मैं आपके एक निर्णय के प्रति आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आपने सरकार को यह कहा था कि जब हाउस चल रहा हो, तब कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि हो, तो उसकी सूचना पहले लोकसभा को दी जाय। कल सरकार ने आर्टिकल 370 के सम्बन्ध में निर्णय किया है। आज के समाचारपत्रों में यह समाचार आया है लेकिन हाउस को सरकार ने पहले सूचित नहीं किया। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय पहले बाहर चले जाएं और बाद में सदन के सामने आवें ? दो दिन बाद तो सरकार को इस पर वक्तव्य देना ही देना था।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री का बिल चल रहा है, परसों वह फिर हाउस के सामने आ रहा है, चाहे ग़लत हो या दुरुस्त, गवर्नमेंट को इस बारे में एक पालिसी बनानी है कि उसने उस के बारे में क्या एटीच्यूट लेना है । अगर अब गवर्नमेंट अपने में अन्दर बैठ कर फैसला करती है कि वह श्री प्रकाशवीर शास्त्री के उस प्राइवेट बिल को अपोज़ करेगी तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसमें कैसे कोई दख़ल दे सकता हूं । जब परसों वह बिल हाउस के सामने आयेगा तो गवर्नमेंट अपना एक एटीच्यूट लेकर खड़ी होगी और सम्बन्धित मन्त्री महोदय कहेंगे कि वह इस को अपोज करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : समाचारपत्रों में यह बात कैसे चली गई कि गवर्नमेंट ने उसको अपोज करने का फैसला कर लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : समाचारपत्रों में कैसे चला गया मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं ? हो सकता है कि समाचारपत्र हमारी चोरी कर के ले गये हों या गवर्नमेंट ने खुद डर के दे दिया हो इसकी बात तो अलहदा है । कोई डिसीशन गवर्नमेंट अपने कैबिनेट के अन्दर लेती है तो हैरानी तो इस बात की है कि उसके बारे में समाचारपत्रों को पहले पता चल जाता है और हमें पता नहीं चलता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, मैंने बहुत दफ़े कहा कि जब मैं दूसरी चीज़ बुलाऊं, एक बन्द हो गयी हो, दूसरी शुरू होने को हो तो उस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरे लिए कोई वक्त और रह नहीं जाता है कि मैं अपने निन्दा प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाऊं । मैं इस वक्त आप को वह व्यवस्थाएं बतलाऊंगा जिनके कि मुताबिक यह मेरा विषय यहां पर आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस वक्त उसे नहीं ले रहा हूं । मैं उसे कंसिडर कर रहा हूं । माननीय सदस्य ज़रा इन्तज़ार करें । एक, आध दिन में उन्हें जवाब भी मिल जायेगा । वे इस बात पर न घबरायें । सुबह मुझे नोटिस मिल गया है, मैंने विचार किया है और मैं अभी भी उसे कंसिडर कर रहा हूं इसलिए माननीय सदस्य इस बात को अभी लाने की कोशिश न करें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : एक चीज़ याद रखिये । इसके ऊपर कोई 17–18 दिन हो गये हैं और एक दूसरी बात . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो यह 17–18 दिन की बात कहते हैं तो पहले ही दिन मैंने उसको नामंजूर कर दिया था और आप उसके लिए रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं इसलिए उनका यह कहना सही नहीं है कि 17–18 रोज़ हो गये हैं और अभी तक इस पर कोई डिसीशन नहीं किया गया है । पहले ही दिन जब मुझे माननीय सदस्य से इसका नोटिस मिला था तो उन्हें इत्तिला दे दी गई थी कि वह नामंजूर हो गया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब आप विचार करें तो यह ज़रूरी है कि हमारी राय और लोकसभा में जो और लोग भी इस पर बोलना चाहें उनकी राय भी आपके सामने रहे ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो यह होगा कि उसका फैसला भी लोकसभा ही करेगी और जाहिर है कि लोकसभा मैजारिटी की राय से फैसला करेगी और मैं फिर उसमें नहीं आ सकूंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह आपकी इच्छा है । अगर यह मंजूर हो तो मुझे कोई

ऐतराज नहीं है। अगर हाउस इसमें सहमत हो तो आप कर सकते हैं। (इंटरप्शंस)

मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं अपने हक पर खड़ा हूं। मुझे किसी प्रकार की धमकी से कोई मतलब नहीं। मैं जानता हूं कि बहुसंख्या मेरी बात को खत्म कर सकती है लेकिन आखिर इस तरह से मुझे कहने के मानी क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसके यह मानी हुए कि जब मैं एक फैसला लेता हूं इतना विचार करके और आपको फिर सुनाता हूं और फिर उसके बाद फैसला लेता हूं तो जब आप कहें कि आप को हक है कि आप की राय यहां सुनी जाय और यहां अन्य लोग जो इस बारे में बोलना चाहते हैं उनकी राय भी सुनी जाय तो उसके बाद और चारा ही क्या रह जाता है कि फैसला भी हाउस ही दे।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी समझ में इस वक्त एक अध्यक्ष होने के नाते आप का यह कर्त्तव्य है कि आप राय सुन लें और फिर उसके बाद आप अपना फैसला दें। यह कोई जरूरी नहीं है कि सब की राय लेने के के बाद लोकसभा हो इस तरह के मामलों में फैसला किया करे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन साल काम करते हो गये और इसलिए मुझे कुछ तो पता चल ही गया है कि क्या मेरे हक व फरायज हैं। बहरहाल जैसा मैंने कहा अब इस वक्त मैं डाक्टर साहब को नहीं सुनूंगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी सुनाई कब होगी ? मैं देख रहा हूं कि इस मामले में मेरे साथ अन्याय हो रहा है और कायदे-कानून टूट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह टूट रहे हैं तो फिर माननीय सदस्य को हक हासिल है कि वे मेरे बरखिलाफ मोशन लायें लेकिन यह तो नहीं होना चाहिए कि से तरह से वे बोलते ही चले जायं।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह आखिरी मंजिल होती है मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर अभी जाऊं।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले जो प्रस्ताव दिया था उसे मैंने नामंजूर कर दिया था और उसकी इत्तिला दे दी गई थी। अब माननीय सदस्य का जो नया प्रस्ताव आया है उसे मैं फिर देख रहा हूं और मैंने अभी आपसे कहा है कि मैं उस पर थोड़ा वक्त लेकर आज ही या कल को उन्हें इस बारे में इत्तिला दे दूंगा। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि उन्होंने डिसीशन के लिए 17-18 दिन इंतजार किया है वह दुरुस्त नहीं है क्योंकि उनके पहले वाले नोटिस को तो मैं पहले ही दिन नामंजूर कर चुका था। मेरी वह राय है। बार बार इसको सोचा है। आप से भी परामर्श किय है और उसके बाद ही मैं अपने उस नतीजे पर पहुंचा हूं लेकिन उससे भी अगर माननीय सदस्य को तसल्ली नहीं है तो यह मेरी बदकिस्मती है। इस समय अब आप बैठ जाइये।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : बैठ जाइये।

डा० राम मनोहर लोहिया : त्यागी जी महाराज, जब आप अध्यक्ष बने तब यह बात आप कह सकते हैं .....

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, on a point of order. Can a Member address another across the House like that?

डा० राम मनोहर लोहिया : यह झुंड के जोर से मैं बैठने वाला नहीं हूं। मैं इससे पहले भी कई बार अपको अर्ज कर चुका हूं कि झुंड के जोर से मैं कभी नहीं बैठूंगा।

अध्यक्ष महोदय: डाक्टर साहब, आप न मेरे कहने पर बैठेंगे, न झुंड के कहने पर बैठेंगे, वैसे इस पार्लियामेंट को जो उन्होंने झुंड का नाम लेकर कहा है उसे मैं निहायत अनुचित समझता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं पार्लियामेंट को झुंड नहीं कह रहा हूं । मैं तो बहुसंख्यक लोगों को झुंड कह रहा हूं, वह बहुसंख्यक जो कि मेरे एक कायदे के रास्ते में रुकावट डाल र हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि वे मेरा कहना मान लें और इस वक्त वे बैठ जायें । उन्होंने जो मेरे पास प्रस्ताव नया भेजा है और जो मुझसे उन्होंने प्रश्न पूछे हैं मैं उन पर विचार कर रहा हूं । उनका जो पहिला प्रस्ताव था उसे मैं मंजूर नहीं कर सका था और वह इत्तिला मैंने उनको पहले ही दे दी थी । उस के बाद उन्होंने मुझे लिखा उस पर मैंने विचार कर लिया उस का फैसला अब कुछ नहीं होना है । अब जो उन्होंने मुझे अपना नया प्रस्ताव भेजा है जैसा मैंने अभी उनसे कहा मैं उस पर अभी विचार कर रहा हूं और उनको शायद आज या कल उसके बारे में पता लग जायेगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ठीक है । आप तो जानते ही हैं कि मेरी आखिर तक कोशिश रहती है कि मैं दबता चला जाऊं । ठीक है मैं आज और कल और दब रहा हूं ।

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): May I say a word on the point raised by the hon. Member Shri Prakash Vir Shastri? I would like to make it clear that no decision of the Government has been taken on that. Therefore, that question does not arise. We discuss, and we go on discussing, and we consider. No decision has been taken on that.

Mr. Speaker: Why should the papers give such an impression?

Shri Nanda: They can interpret anything in any way.

Mr. Speaker: Those papers and those editors also must see that . . .

Shri D. C. Sharma: Have they been briefed by anybody connected with the Prime Minister or the Home Minister?

Mr. Speaker: Now, this question has been asked as to whether any of the Members of the Cabinet has briefed any of these papers?

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): How can they brief them? That would be a wrong thing, and that is not the procedure. No decision has been taken on this.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER ALL INDIA SERVICES ACT

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. GSR. 1518 dated the 28th October, 1964, making certain amendment to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Service Rules, 1954, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951. [*Placed in Library. See* No. LT-3515/64].

ANNUAL REPORT OF FERTILISERS AND CHEMICALS, TRAVANCORE LIMITED, ELOOR AND REVIEW BY GOVERNMENT THEREON

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Annual Report of the Fertilizers and Chemicals, Tranvancore Limited, Eloor, for the year 1963-64, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor-General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company. [*Placed in Library. See* No. LT-3516/64].

MEMORANDUM ON FOURTH FIVE YEAR PLAN

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table a copy of Memorandum on the Fourth